सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल

## डा. पी. सी. अलेक्जेंडर

का

# अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

---

१३ मार्च २०००

**माननीय सभापति, अध्यक्ष महोदय एवम् सदस्यगण,**

राज्य विधान मंडल के नई शताब्दी के इस प्रथम सत्र में, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र में नई सरकार को पदग्रहण किये अभी पाँच महीने ही गुजरे हैं। मुझे खुशी है कि सरकार जनतंत्र मोर्चे में शामिल पार्टियों के घोषणापत्र में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। सामान्य जनजीवन को प्रभावित करनेवाली मूलभूत समस्याओं के निवारण और भविष्य में महाराष्ट्र के विकास के लिए भी, मेरी सरकार ने योजनायें बनाई हैं। अपनी नई नीतियों और विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लाभ आम जनता तक पहुँचे इस मकसद से उनका प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है।

२. भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, डा शंकर दयाल शर्मा के दुःखद निधन से राष्ट्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। मैं अनुरोध करता हूँ कि उन्हें अपनी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करने में आप सभी मेरा साथ दें।

३. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र के परम पूज्यनीय श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जन्मतिथि मराठी कलैण्डर के अनुसार फाल्गुन वद्य तृतीया, शक १५५१ अर्थात् १९ फरवरी १६३० स्वीकार कर ली है और प्रतिवर्ष १९ फरवरी को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

४. सरकार ने, इस वर्ष से हरसाल **अश्विनी पूर्णिमा** को महाकाव्य रामायण के महान रचयिता महर्षि वाल्मिकी की जयंती मनाने का फैसला किया है।

५. मेरी सरकार जानकारी पाने के लोगों के अधिकार से संबंधित उचित कानून बनाने के प्रति वचनबद्ध है।

६. महाराष्ट्र, देश में एक अग्रणी औद्योगिक राज्य बना हुआ है। सर्वसंपन्न और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रगत राज्यों में भी उसका स्थान बना हुआ है। निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने उदार नीति अपनाई है। महाराष्ट्र में, एक लाख पचपन हजार दो सौ पच्चीस करोड़ रुपये निवेश करने वाले ७,२६८ उद्यमियों ने आवेदन किये हैं। १,४२८ प्रोजेक्टों में २४,५८८ करोड़ रुपये के सीधे विदेशी निवेश की मंजूरी पानेवाले प्रस्तावों की संख्या भी देश में सर्वाधिक है।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति में अग्रसर रहकर, प्रभावी, पारदर्शी और प्रतिसंवेदी प्रशासन देने के लिए, उसका उपयोग करना चाहती है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण विकास केन्द्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ ग्रामीण जनता को मिले इसके लिए ग्रामसचिवालयों को चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटर से जोड़ा जायेगा।

७. कुल १३,२३८ मेगावाट की स्थापित क्षमता सहित विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में महाराष्ट्र का अग्रणी स्थान बना हुआ है। विद्यमान विद्युत क्षमता में वृद्धि करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने खापरखेडा में प्रति यूनिट २१० मेगावाट क्षमतावाली दो अतिरिक्त यूनिटें स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया है, जो कि जून २००० के अंत तक शुरु हो जाएंगी।

८. घरेलू श्रमिकों का कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए यथोचित कानून बनाने का मेरी सरकार का इरादा है। ऐसा कानून बनाने तक घरेलू श्रमिकों के कल्याण के लिए नियोक्ताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली आचार संहिता सरकार ने हाल ही में घोषित की है।

९. कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि एक लाभकारी व्यवसाय बने, सरकार ने, १९९९–२००० के रबी मौसम से नई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना कार्यान्वित की है। सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों को प्रीमियम अदायगी के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु और समग्र निधि हेतु २१.६० करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।

राज्य की सीमित सिंचाई क्षमता को ध्यान में रखकर, टपकन और छिड़काव सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। वर्ष २०००–२००१ के

दौरान अतिरिक्त ३२,५०० हेक्टर भूमि पर टपकन और छिड़काव सिंचाई करने के लिए सिंचाई विकास निगम द्वारा लगभग ६५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त निधि मुहैया किया जाएगा।

स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री, स्वर्गीय डा. पंजाबराव देशमुख के कृषि, शिक्षा और सहकारिता के क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान को ध्यान में रखकर, सरकार ने, कृषि क्षेत्र में कल्पक कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को, **डा. पंजाबराव देशमुख** के नाम से गौरव पुरस्कार देने का निश्चय किया है। पुरस्कार पाने वाले को **कृषि रत्न** की उपाधि से सम्मानित किया जायेगा और उसे नकद ५०,००० रुपये, ५० ग्राम का **स्वर्ण पदक** और सम्मानपत्र दिया जायेगा।

१०. जल संरक्षण कार्य पर विशेष जोर देने के लिए, मेरी सरकार, जल संरक्षण निगम स्थापित करके उसके माध्यम से बॉंड जारी कर निधि जुटाना चाहती है। ८,९५३ गावों में जल संरक्षण उपाय का कार्य शुरु किया जा चुका है।

११. रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने के विशेष समयबद्ध कार्यक्रम के तहत् पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को पशुपालन योजना के जरिए लाभ पहुँचाया जायेगा।

जनजाति उप-योजना के तहत् ५३ पशुचिकित्सा दवाखाने स्थापित करने के लिए सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है।

१२. सामान्य मछुआरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से, सरकार ग्रामीण युवाओं को साइकिल और प्रशीतक की आपूर्ति के लिए सहायता देने, ठाणे, रायगड, गड़चिरोली और यवतमाल जिलों में निःशुल्क और अन्य जिलों में ५० प्रतिशत की आर्थिक सहायता से जालों की आपूर्ति करने, बिना यंत्र की नावों को खरीदने में सहायता देने और यन्त्रसज्जित नावों पर बेतार के सेट लगाने के लिए सहायता देने के हेतु कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। बंजर भूमि पर झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ६.६५ करोड़ रुपये लागत का फ्रेंच सहायताप्राप्त झींगा अंडज उत्पत्तिशाला प्रोजेक्ट का काम हाथ में लिया गया है।

१३. मेरी सरकार ने राज्य में सिंचाई क्षमता के विकास पर अधिक बल दिया है।कृष्णा जल विवाद अधिकरण पंचाट के तहत् महाराष्ट्र के हिस्से में आये जल को शत-प्रतिशत उपयोग में लाये जाने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने

की दृष्टि से विभिन्न परियोजनाओं का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है और प्राथमिकता के तौरपर उसे हाथ में लिया गया है। इसके अलावा विदर्भ सिंचाई विकास निगम, गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम, तापी सिंचाई विकास निगम और कोंकण सिंचाई विकास निगमों के जरिए महाराष्ट्र की अन्य नदी घाटियों में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को गति प्रदान की गई है। सरकारने इन सिंचाई विकास निगमों के लिए, खुले बाजार से उपलब्ध करायी जानेवाली निधि और सरकार के अंशदान का अनुपात ५० : ५० बनाये रखने का निर्णय लिया है। वर्ष २०००–२००१ में २.४६ लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने का प्रस्ताव है।

राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों का नियोजन करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए, **प्राधिकरण** की स्थापना करने का सरकारने निर्णय लिया है। यह **प्राधिकरण** सभी सिंचाई परियोजनाओं का मुआयना करेगा और राज्य में जल का सही ढंग से वितरण करने के बारे में नीति तय करेगा।

१४. मेरी सरकार, राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल मुहैया करने के लिए वचनबद्ध है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जल आपूर्ति योजनांतर्गत कार्यों के परिचालन, रखरखाव और मरम्मत से संबंधित विद्यमान प्रणाली का अध्ययन करने के लिए और इनके स्थायी परिचालन और रखरखाव के लिए, उचित प्रबंध के बारे में सुझाव देने के लिए, श्री. द. म. सुकथनकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

भू-जल का बड़े पैमाने पर उपयोग एक चिंता का विषय है। भू-जल सम्बन्धी कानून कठोरतापूर्वक अमल में लाने का मेरी सरकार ने निर्णय लिया है।

१५. सरकार ने परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के प्रभावी पुनर्वास को सर्वोच्च्व प्राथमिकता दी है। प्रत्येक खातेदार को उसके द्वारा भूमि का कब्जा दिये जाने के दिनांक से कमान क्षेत्र में उसे दी गई भूमि के लिए, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने तक प्रतिमाह ६०० रुपये अदा करने का फैसला सरकार ने हालही में लिया है। इसके अलावा नई गावथानों में मकान बनावाने के लिए हर एक परिवार को विशेष अनुदान के तौरपर १०,००० रुपये दिये जाएंगे।

१६. राज्य के कपास उत्पादकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए, एकाधिकार कपास खरीदी योजना की अवधि बढ़ाने के लिए, मेरी सरकार ने केंद्र सरकार के पास लगातार प्रयास किये हैं। भारत सरकार यह योजना ३० जून २००० तक बढ़ाने पर सहमत हुई है। इस योजना की अवधि और पाँच वर्ष तक बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इस योजना के तहत् इस साल ३,६०८ करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से १६९ लाख क्विंटल कपास की रिकार्ड खरीदी की गई है।

१७. राज्य में प्याज की भरी-पूरी फसल आने के कारण किसानों को उनका प्याज घटे हुए भाव पर बेचना न पड़े इसलिए सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना तत्काल घोषित की। २४ फरवरी २००० तक, १००.८० करोड़ रुपये लागत से ३१.८२ लाख क्विंटल प्याज की खरीद की गई है।

१८. सरकार ने समय पर निधि उपलब्ध कराकर सहकारिता क्षेत्र में कृषि प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, महाराष्ट्र सहकारिता वित्त और विकास निगम स्थापित करने का फैसला किया है। नयी परियोजनायें स्थापित करने, क्षमता बढ़ाने और बीमार यूनिटों का आधुनिकीकरण, पुनर्वास करने के लिए जहाँ भी संभव हो इस निगम द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।

१९. सरकार ने प्रादेशिक असंतुलन संबंधी संकेतक और अनुशेष समिति की रिपोर्ट तत्वतः अपनाई है। उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखकर, उसके कार्यान्वयन के बारे में अगली कार्यवाही की जायेगी।

२०. सरकार ने मुंबई-औरंगाबाद-नागपुर राजमार्ग बनवाने का कार्य पहलेही हाथ में लिया है और **निर्माण, परिचालन-अंतरण** के आधार पर मुंबई-तलासरी द्रूतगति मार्ग परियोजना का कार्य हाथ में लेने का भी निर्णय लिया है।

२१. पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने और उन्हें अधिक अधिकार देने के लिए, सरकार पंचायत राज संस्थाओ को बड़े पैमानेपर कार्य सौंप रही है। सरकार ने ग्रामपंचायत के सरपंच को मानदेय अदा करने का, ग्रामपंचायत के सदस्यों को बैठक भत्ता देने का और ग्रामपंचायत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन पर ५० प्रतिशत व्यय को पूरा करने के लिए, सानुग्रह अनुदान अदा करने का फैसला किया है। सरकार ग्रामपंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधारपर ग्रामपंचायतों के लिए, कर्मचारी रचना भी विहित करेगी।

ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए, मेरी सरकारने, राज्य के सभी राजस्व परिमंडलों के मुख्यालयों में **ग्राम सचिवालय** खोलने का निर्णय लिया है। यह **ग्राम सचिवालय,** गांव स्तर के सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने और ग्रामवासियों के मामले तत्काल निपटाने संबंधी सुनिश्चिति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीक स्वशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सरकार ने जिला परिषद और पंचायत समितियों के पदाधिकारियों का विद्यमान कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर ढ़ाई वर्ष करने का फैसला किया है। जिला परिषद और पंचायत समिति में स्थायित्व लाने की दृष्टि से सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि इन पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए, कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत आवश्यक है।

२२. नगर निगमों के मामले में भी महापौर और उप-महापौर को अधिक सक्षम बनाने हेतु सरकार ने महापौर और उप-महापौर का विद्यमान कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर ढ़ाई वर्ष करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने, जाली जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके आरक्षित सीट से स्थानीय प्राधिकरणपर चुनकर आये हुए व्यक्ति को छह साल के लिए अनर्ह ठहराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी संबंधित कानून के बारे में उचित संशोधन विधेयक इस सत्र में रखे जा रहे हैं।

२३. किराया कानून में एकरूपता लानेवाला और उन्हें समाहित करनेवाला राज्य विधानमंडल द्वारा दिसम्बर १९९९ में बहुमत से पारित विधेयक भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिलने के बाद, महाराष्ट्र किराया नियंत्रण कानून के रूप में अधिनियमित और प्रकाशित किया गया है।

२४. सरकार ने १ जनवरी १९९५ को मौजूद झोपडों में रहनेवाले पात्र झोपडावासियों को फोटोपास जारी करने का निर्णय हाल ही में लिया है।

२५. संजय गांधी निराश्रित अनुदान योजना के तहत् पात्र निराश्रितों को दी जानेवाली सहायता राशि १ जनवरी २००० से प्रति माह १०० रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह २५० रुपये की गई है। उम्मीद है इससे तीन लाख चौरानबे हजार तीन सौ अट्ठाईस लोगों को लाभ मिलेगा।

२६. पुलिस की सतर्कता के कारण पिछले छह माह में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर थी। पुलिस बल की कार्यक्षमता और कारगरता बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने उड़ाका दल गठित करने का निर्णय लिया है।

पुलिस प्रशासन में निचले स्तर से पारदर्शकता लाने और उसे गति प्रदान करने के लिए तथा नागरिकों को कानून के प्रावधानों और कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए सरकार ने हाल ही में **सिटीजन्स चार्टर** प्रकाशित किया है।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण आयोग और न्यायाधीश गुंडेवार आयोग की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को तत्काल अमल में लाने के लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है। प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने की दृष्टि से सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का फैसला किया है।

२७. मुंबई शहर में वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर खास तौर से वाहन प्रदूषण चिंता का कारण बना है। सरकार ने बड़े पैमानेपर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है और इस समस्या का दीर्घकालीन हल ढूँढ निकालने के प्रति वचनबद्ध है।

२८. सरकार शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा कम्प्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग पर जोर देगी।

२९. सरकार ने जिन विद्यालयों मे बालिकाओं के लिये पीने का पानी और स्वच्छतागृह की सुविधाएँ नहीं है, उन विद्यालयों को ये सुविधाएँ मुहैया करने का निर्णय लिया है। जून, २००० तक, लगभग ४,५०० विद्यालयों में यह सुविधा मुहैया की जायेगी। सरकार ने ३,००० कक्षाओं का निर्माण कार्य भी शुरू किया है, जो जून २००० तक पूरा हो जायेगा।

सरकार ने गत दो वर्षों से रिक्त रहे पदों पर, प्रतिमाह २,५०० रुपये के नियत मानदेय पर, १९००० **शिक्षण सेवक** नियुक्त करने का फैसला किया है। पांच साल संतोषप्रद कामकाज करने पर उन्हें नियमित वेतनमान पर समामेलित कर लिया जाएगा।

विश्वव्यापी भाषा के रूप में अंग्रेजी के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार ने पहली कक्षा से ही, एक विषय के तौर पर अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है।

पूर्व प्राथमिक विद्यालय में भर्ती किये गये प्रत्येक तीस छात्रों के लिये, एक शिक्षक मंजूर करने का प्रस्ताव है। फिर भी, कक्षा १ से ४ तक में भर्ती किये गये १६ छात्रों के लिये दो शिक्षक मंजूर किये जायेंगे।

नया विद्यालय खोलने के वर्तमान १.५ किलोमीटर के मानक को शिथिल करके सरकार ने जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं ऐसी जगहों पर ग्राम पंचायतों के जरिए, निवासीय विद्यालय खोलने का फैसला किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी विषय उच्च तथा तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा हो यह सरकार की दृढ़ धारणा है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर आवश्यक सुधार प्रस्तावित किये गये हैं।

३०. राज्य में कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना के कार्य में अब गति आयी है और स्वास्थ्य सेवा का स्तर बढ़ाना और उसमें सुधार करना इस परियोजना का लक्ष्य है।

राज्य में, १५ दिसम्बर, १९९९ से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दुसरे चरण का कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है।

पल्स पोलिओ अभियान के कार्यन्वयन में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य बना हुआ है और यह उम्मीद है कि अगले दो सालों में पोलिओ का निर्मूलन हो जायेगा।

युनायटेड नेशन्स फंड फॉर पापुलेशन एक्टीविटीस द्वारा सहायता प्राप्त कुल ३३.६७ करोड़ रुपये लागत की एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना राज्य के ५ जिलों और ५ नगरपालिका क्षेत्रों में दिसम्बर, १९९९ से कार्यान्वित की जा रही है।

शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालयों तथा राज्य के स्वामित्ववाले बोर्डों/निगमों के कार्यालयों और स्थानीय स्वशासी कार्यालयों से १०० मीटर के परिसर के भीतर तम्बाकू से बने गुटखा और संबंधित वस्तुओं के विक्रय, उपयोग और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

३१. मेरी सरकार राज्य में जनजातियों के सर्वांगिण विकास को सर्वाधिक महत्व देती है। इस मकसद से निश्चित की गई लगभग ९ फिसदी बजट योजना लागत से, जनजाति उप-योजना कार्यान्वित की जा रही है। जनजाति परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के मकसद से शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, अन्य मूलभूत परियोजनाएँ और व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं को जनजाति उप-योजना में प्राथमिकता दी गई है।

अपात्र व्यक्तियों द्वारा, जाति के जाली प्रमाणपत्र के आधारपर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध सहूलतें, हासिल करने जैसी घटनाओं की प्रभावी तौरपर रोकथाम के लिए, उचित कानून बनाने का मेरी सरकार का प्रस्ताव है।

३२. सरकार ने महाराष्ट्र में महिला शिक्षण की प्रवर्तक श्रीमती **सावित्रीबाई फुले** की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष ३ जनवरी को **स्त्री मुक्ति दिन** मनाने का फैसला किया है।

३३. सरकार ने सरकारी अनाथालयों की निराश्रित लड़कियों के विवाह के लिये, वित्तीय सहायता की योजना बनायी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों में १०,००० रुपये की मियादी जमा और दुल्हन को ५,००० रुपयों की घरेलु वस्तुएँ तथा बर्तन दिये जाते हैं।

सरकार ने ३० अक्तूबर, १९९९ से ४३,१५६ अंगनवाडी सेविकाओं और जून, १९९९ से उतनी ही तादाद में अंगनवाडी सहायकों का मानदेय बढ़ाया है।

३४. यह एक संतोषप्रद बात है कि अब राज्य के सभी जिला रोजगार कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं। अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रीकरण, नूतनीकरण, प्रस्तुतीकरण और नियुक्ति अब अविलंब की जा रही है।

३५. मेरी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के बेरोजगार युवकों की बेहतरी के लिये स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए **मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल** स्थापित करने का फैसला किया है। सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के हित को सुरक्षित रखने के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग पुनर्जीवित करने का फैसला किया है।

३६. मेरी सरकार ने जम्मू-काश्मीर राज्य की नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के साथ सशस्त्र सेना के संघर्ष में महाराष्ट्र के जिन अधिकारियों और जवानों ने बलिदान दिया है, ऐसे अधिकारियों और जवानों की विधवाओं/परिवारों को ५ लाख सानुग्रह राशि देने का फैसला किया है और ५० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हुए अधिकारियों और जवानों को ५०,००० रुपये सानुग्रह राशि देने का भी निर्णय लिया गया है। उसीतरह, २० प्रतिशत से ४९ प्रतिशत तक विकलांग हुए अधिकारियों और जवानों को भी २५,००० रुपये की सानुग्रह राशि देने का फैसला किया गया है। सरकार ने इस संघर्ष में महाराष्ट्र के जिन जवानों ने बलिदान दिया है ऐसे जवानों के कानूनी वारिसों को और विकलांग जवानों को, ग्रामीण क्षेत्र में उनके मूलगांव में लगभग २,००० चौरस फीट आवासीय प्लाट देने का भी फैसला किया है।

सरकार ने राष्ट्र के लिए अतुलनीय वीरता और बलिदान देनेवालों को उनके सम्मान के रूप में वीरता पुरस्कार विजेताओं और सैनिकों की विधवाओं को वर्ष में २,५०० किलोमीटर की दूरी तक, महाराष्ट्र राज्य सड़क निगम की बसों में मुफ्त यातायात की सुविधा प्रदान की है।

मेरी सरकार ने १ मार्च २००० से स्वातंत्र्य सेनानियों को राज्य सरकारी सन्मान निवृत्ति वेतन में ५०० रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। अब पुरुष स्वातंत्र्य सेनानियों को प्रति माह २,००० रुपये और महिला स्वातंत्र्य सेनानियों को प्रतिमाह २,१०० रुपये राज्य सरकारी सन्मान निवृत्ति वेतन मिलेगा।

३७. सरकार ने हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्राम के महान नेता **स्वामी रामानंद तीर्थ** का मुंबई में सुयोग्य स्मारक बनाने हेतु सिफारिश करने के लिए, मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री. व्यंकटराव देशपांडे की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति नियुक्ति की है।

३८. मेरी सरकार लंबे अरसे से चले आ रहे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है। इस मसले को हल करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति प्रयासरत है।

मराठी साहित्य और संस्कृति का उन्नयन तथा समृद्धि का कार्य करनेवाले अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल द्वारा अप्रैल, २००० में बेलगांव में आयोजित ७३ वें मराठी साहित्य सम्मेलन के लिए सरकार ने २५ लाख रुपयों की आर्थिक सहायता दी है।

३९. सन्माननीय सदस्यगण, इस सत्र में आपको अनुपूरक माँगों, सन २०००–२००१ का बजट, लेखानुदान, कतिपय अध्यादेशों को अधिनियम में बदलनेवाले विधेयक, और तत्काल स्वरूप के नये विधेयकों तथा आपके विचार-विमर्श के लिए रखे जानेवाले अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी अत्यावश्यक कामकाज पर विचार करना है।

इस सत्र में मैं, आपके विचार-विमर्श में सफलता की कामना करता हूँ।

**जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!**

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई